झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — द्वादश (बजट)सत्र

संख्या-02 — गुरुवार, दिनांक-18 जनवरी, 2018 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने राज्य की चालीस हजार आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा इस ठंड मे धरना दिये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनकी मौगों पर विचार हेतु अनुरोध किया,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने राज्य के मुख्य सचिव, डी.जी.पी. एवं ए.डी.जी. को पदमुक्त किये जाने सम्बन्धी उनके विरूद्ध दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मौग की, लेकिन आसन द्वारा प्रश्नकाल चलने दिये जाने हेतु सुझाव दिया गया,

iii- माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने अंकित विषय को न्यायालयाधीन बताते हुए इसपर चर्चा कराये जाने की मौग को अनुचित बताया और माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल ने बार-बार सदन के बाधित होने पर आपत्ति जतायी। इस क्रम मे पुनः आसन द्वारा प्रश्नकाल बाधित नहीं किये जाने की अपील की गयी परन्तु नोक-झोंक जारी रहा,

iv- माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा आरोपित से स्पष्टीकरण मौगा गया था जो प्राप्त हो चुका है और सरकार प्रक्रिया के तहत उसपर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई ले रही है,

v- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने पुनः दैनिक अखबारों मे प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जब कैबिनेट मंत्री के द्वारा मुख्य सचिव के विरूद्ध टिप्पणी की गयी है तो फिर आगे कुछ कहने के लिए शेष नहीं है, इसी क्रम मे उन्होंने ए.डी.जी., श्री अनुराग गुप्ता के विरूद्ध कमीशन द्वारा लिखे गये तल्ख पत्र की प्रति आसन को स्वयं जाकर समर्पित किया (शोरगुल),

vi- माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व मुख्य सचिव, श्री ए. के. सिंह पर लगे आरोपों के उपरांत उन्हें हटाये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि जब वर्त्तमान में राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों पर आरोप लगे हैं तो फिर उन्हें पदमुक्त किये जाने मे क्या परेशानी है (शोरगुल),

vii- माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम ने भी दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मौग की।

(कृपया पृष्ठ उलटें)

2.कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- माननीय सदस्य, सर्वश्री जगरनाथ महतो, प्रदीप यादव, इरफान अंसारी एवं श्री अमित कुमार द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, डी.जी.पी. एवं ए.डी.जी. के विरूद्ध दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दी गयी,

ii- माननीय सदस्य, सर्वश्री अरुप चटर्जी, प्रदीप यादव, राज कुमार यादव एवं श्री इरफान अंसारी द्वारा भी क्रमांक-1 में अंकित विषय सहित अक्षय यात्रा को जमीन दिये जाने सम्बन्धी विषय पर दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दी गयी।

3.आसन से नियमन:-

विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लाये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आसन द्वारा उन्हें कौल एण्ड शकधर की पुस्तक में अंकित नियम का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया कि इसपर सम्प्रति चर्चा नहीं करायी जा सकती है।

(शोरगुल)

4.विविध चर्चायें(क्रमांक-1 से आगे):-

i- माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आसन से आग्रह किया कि राज्य में हत्यायें हो रही है, लोग भूख और ठंड से मर रहे है तो सदन में चर्चा करायी जाय, इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अधिकांशत: माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर अपने स्थान पर खड़े हो गये जिससे भारी शोरगुल होने लगा,

ii- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने आसन से आग्रह किया कि कमीशन द्वारा ए.डी.जी. के विरूद्ध कड़ा पत्र लिखा गया है, अतएव इसपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए,

iii- माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-54 एवं 56(7) का हवाला दिया और कहा कि चूँकि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इसपर चर्चा नहीं हो सकती है, परन्तु माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने पुलिस मैन्युअल की धारा-480 को उद्धृत करते हुए कहा कि न्यायालय में इस मामले पर सी.बी.आई. जाँच की माँग की गयी है अतएव सदन में अंकित विषय पर चर्चा कराये जाने में कोई बाधा नहीं है(शोरगुल),

iv- माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था और उसका जवाब भी आ गया है, अतएव विपक्ष के दबाव में अधिकारियों को नहीं हटाया जा सकता(शोरगुल),

v- माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत ने आग्रह किया कि सी.एस. पर कैबिनेट मंत्री भी आरोप लगा रहे है इसलिए इसपर सरकार का जवाब होना चाहिए। इस क्रम में विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी माँगों को लेकर स्लोगनयुक्त पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए शनै:-शनै: सदन की वेल में आ गये। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.48 बजे पूर्वा० से लेकर भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए विभिन्न दलों के निमित्त समय अवंटन की घोषणा करते हुए माननीय सदस्यों से अपेक्षा की गयी कि वे अपनी बातों को रखेंगे और सरकार उसका सम्यक् जवाब देगी।

(P.T.O.)

(इस अवसर पर विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य पूर्व की माँगों को लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और मुख्य सचिव एवं डी.जी.पी. को पद से हटाये जाने की माँग करने लगे। शनैः-शनैः माननीय सदस्य, सर्वश्री रबीन्द्रनाथ महतो, कुणाल षड़ंगी, अमित कुमार, शशिभूषण मामाड, दीपक बिरुवा, चमरा लिण्डा, इरफान अंसारी, जय प्रकाश भाई पटेल, श्रीमती निर्मला देवी एवं श्रीमती जोबा मांझी भी वेल में आकर नारेबाजी करने लगीं। इनमें से कतिपय माननीय सदस्य धरने पर भी बैठ गये।)

5.राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवादः-

(इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एवं भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

पुकारे जाने पर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने किया तदुपरांत माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गयी तत्पश्चात् माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर के उपरांत सर्वश्री अनन्त कुमार ओझा, राज कुमार यादव, श्रीमती बिमला प्रधान, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता एवं श्री जानकी प्रसाद यादव ने वाद-विवाद में हिस्सा लिया। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक-19, जनवरी, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

विनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 18, जनवरी, 2018 ई०।

—x—